न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–अशोकनगर

1. कल्लू पुत्र श्री नन्नूलाल ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं.15,अशोकनगर (म.प्र.)
2. जगदीश पुत्र श्री भैयालाल ब्राह्मण, निवासी अथाई खेडा, अशोकनगर (म.प्र.)
3. कमललाल पुत्र श्री भैयालाल ब्राह्मण निवासी वार्ड नं.12,अशोकनगर (म.प्र.)
4. राजाराम पुत्र श्री केहरी सिंह
5. जगदीश पुत्र श्री केहरी सिंह
6. ओमकार सिंह पुत्र श्री केहरी सिंह
7. हनुमंत सिंह पुत्र केहरी सिंह

समस्त निवासीगण ग्राम सिकन्दरा, तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.)

– आवेदकगण

विरुद्ध

1. विक्रम सिंह पुत्र केहरी सिंह, निवासी सिकन्दरा, तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.)
2. गोकुलबाई पुत्री केहरी सिंह, पत्नी लालसाहब, निवासी पिपरिया, तहसील मूंगावली, जिला अशोकनगर
3. मुन्नीबाई पुत्री केहरीसिंह पत्नी कप्तानसिंह, निवासी आरौली, तहसील मूंगावली, जिला अशोकनगर,
4. श्यामबाई पुत्री केहरीसिंह पत्नी रामसिंह, निवासी करौदा, तहसील ईसागढ, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
5. रामरतन पुत्र श्री गंभीर सिंह
6. केशरबाई, पुत्री गंभीर सिंह
7. बिन्दाबाई पुत्री गंभीर सिंह

निवासीगण ग्राम सिकन्दरा, तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.)

8. शम्भू दयाल पुत्र श्री प्रेमनारायण
9. राजेन्द्र पुत्र श्री कोमल प्रसाद, निवासीगण गर्ल्स स्कूल गली, अशोकनगर (म.प्र.)

— अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 171/बी-121/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2013 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

(5)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमतांक निगरानी 1876–दो/2013 जिला –अशोकनगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.01.16	आवेदकगण एवं अनावेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि नायव तहसीलदार अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 171/बी–121/2011–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7.3.2013 के विरूद्व यह निगरानी इसलिये की गई है क्योंकि नायव तहसीलदार ने सुनवाई दिनांक 7.3.13 को आवेदकगण को वाद तामील अनुपस्थित मानकर एकपक्षीय कार्यवाही की है । आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि मरे हुये आवेदकों के विरूद्व भी तामील होना मानकर कार्यवाही की गई है और मरे हुये व्यक्ति की तामील कराना संभव नहीं है। तामीलें फर्जी कराई गई है । तहसीलदार अशोकनगर द्वारा मृत व्यक्तियों के विरूद्व आदेश पारित किया है, जबकि मृत व्यक्ति के विरूद्व अथवा उनके पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता इस संबंध में न्याय दृष्टांत प्रस्तुत	

प्र.क्र. 1876-दो/2013 निग.

किये गये हैं, 1996 आर0 एन0 291 इसलिये तहसील न्यायालय की कार्यवाही प्रचलन योग्य नहीं है। अनावेदकगण के अभिभाषक ने नायव तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही को उचित ठहराते हुये बताया कि यदि मरे हुये व्यक्तियों पर तामील कराई है तब उनके वारिसान प्रकरण में उपस्थित होकर कार्यवाही कर सकते हैं उन्होंने निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की है ।

3/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 171/बी–121/2011–12 में आवेदकगण को पेशी 7.3.13 पर उपस्थिति हेतु सूचना पत्र जारी किये है जो प्रकरण में पृष्ठ 107 से 124 तक संलग्न है जिनकी पीठ पृष्ठ पर तामील कुनिन्दा द्वारा कराई गई तामील की हैण्ड राईटिंग एवं पैन की स्याही एक–समान प्रतीत होते हैं और यह संभव नहीं है कि इतने पक्षकार एक समान लिखाई लिखने वाले हों एवं एक ही पैन की स्याही का उपयोग करें। सूचना पत्र का निर्वहन शंकास्पद है। जैसा कि आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्क दिया है कि कुछ मरे हुये पक्षकारों की भी तामील कराई गई है जो सभव नहीं है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत 1996 आर0 एन0 291 में स्पष्ट अवधारणा की गई है कि मृत व्यक्तियों के विरूद्ध आवेदन ग्राह्य योग्य नहीं है। अनावेदक

प्र.क्र. 1876-दो/2013 निगरानी

के विरूद्ध विधिक प्रतिनिधि को अभिलेख पर नहीं लाया गया तो मामले का संपूर्णतः उपसमन हो जाता है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय अशोकनगर द्वारा की जा रही समस्त कार्यवाही प्रचलन योग्य नहीं होने से समाप्त की जाती है । ऐसी स्थिति में नायव तहसीलदार द्वारा उक्तानुसार कराई गई तामीलों के आधार पर अंतरिम आदेश दिनांक 7.3.13 से एक पक्षीय कार्यवाही का लिया गया निर्णय उचित नहीं ठहराया जा सकता ।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायव तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 171/बी-121/2011-12 में की जा रही समस्त कार्यवाही प्रचलन योग्य न होने से समाप्त की जाती है । नायव तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 7 3.13 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है । एवं निगरानी स्वीकार की जाती है ।

सदस्य